न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 204/2012 **ता.दायराः– 10.09.2012**

–: अनवान :–

1. सहीराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. हरजीराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
   - 2/1. फूलांदेवी बेवा हरजीराम
   - 2/2. इमीचन्द पुत्र हरजीराम
   - 2/3. भंवरी देवी पुत्री हरजीराम
   - 2/4. मीरा देवी पुत्री हरजीराम (स्वर्गवास):–
     - 2/4/1. मंजूदेवी पुत्री मीरा पुत्री हरजीराम
     - 2/4/2. निर्मला देवी पुत्री मींरा पुत्री हरजीराम

   } जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. रेवन्तराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान(मृतक):–
   - 3/1. लालचन्द पुत्र
   - 3/2. रामेश्वर पुत्र
   - 3/3. जगदीश पुत्र
   - 3/4. रामेश्वरी पुत्री
   - 3/5. सावित्री पुत्री
   - 3/6. भैराराम पुत्र
   - 3/7. सुखराम पुत्र

   } पुत्रगण व पुत्रीयां रेवन्ताराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. बृजलाल(मृतक):–
   - 4/1. माया देवी पुत्री बृजलाल पत्नी नंदराम कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।
   - 4/2. रामी बाई पुत्री बृजलाल पत्नी प्रेमकुमार जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. नानूराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादीगण

बनाम

1. लाधुराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज(फौत):–
   - 1/1. मेघीदेवी पत्नी लाधुराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 1/2. मनीराम पुत्र लाधूराम(फौत):
     - 1/2/1. शान्तिदेवी बेवा मनीराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 1/3. अशोक कुमार पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 204/2012)

1/4. सन्तोष देवी पुत्री लाधूराम पत्नी दानाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
1/5. चावलीदेवी पुत्री लाधूराम पत्नी चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी चक 22 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
1/6. जीवणी पुत्री लाधूराम पत्नी लुणाराम जाति कुम्हार निवासी लूणकरणसर, हरीराम बाबा मन्दिर के पास, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2. मोहनलाल
3. सांवलाराम
4. अशोक कुमार

पिसरान लाधुराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

5. महेन्द्र कुमार
6. आशाराम
7. दयाराम

पिसरान मनीराम पुत्र लाधुराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

8. चुनीलाल पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज. (मृतक) :–

8/1. हेतराम पुत्र चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.(मृतक):–

8/1/1. कौशल्या बेवा हेतराम
8/1/2. मदनलाल पुत्र हेतराम
8/1/3. लिछमादेवी पुत्री हेतराम
8/1/4. मायादेवी पुत्री हेतराम
8/1/5. औमप्रकाश पत्र हेतराम
8/1/6. सिलोचना पुत्री हेतराम

जाति कुम्हार सा0 1 जी.बी.एम. हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8/2. मनीदेवी पुत्र चुनीलाल (मृतक) : –

8/2/1. कलावती पुत्री मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिंसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/2. रानी पुत्री मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/3. कुलदीप पुत्र मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/4. सन्तोष पुत्री मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/5, हंसराज पुत्र मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/6. पुष्पा पुत्री मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

8/3. गुडडी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिंसिहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/4. रामीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

9. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
10. उप–पंजीयक सूरतगढ़/राजियासर

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 204/2012)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई , अधिवक्ता वादीगण
2. श्री प्रमेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रति. 1/1, 1/2/1, 1/3 से 1/5, 2 ता 7
3. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8/3, 8/4
4. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 05.01.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 8 पर दर्ज चुनीलाल के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एम.सी. के खाता संख्या 51 नया 34 पुराना के पत्थर नम्बर 37/28 मु.न. 18 के किला नम्बर 19–21 में 0.1900 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/29 मु.न. 27 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 23–24 में 3.7450 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/30 मु.न. 35 के किला नम्बर 3–4 में 0.506 हैक्टेयर कुल 4.4410 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 6 एम. सी. के खाता संख्या 43 नया 27 पुराना के पत्थर नम्बर 56/23 मु.न. 13 का किला नम्बर 21/ 0.025, पत्थर नम्बर 56/24 मु.न. 25 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 में 4.1370 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/16 मु.न. 26 के किला नम्बर 14 ता 18, 21 ता 25 में 1.7330 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 57/9 मु.न. 29 के किला नम्बर 1 ता 13 में 3.2890 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 57/17 मु.न. 30 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 14, 18, 23 मे 2.9360 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 57/44 मु.न. 58 का किला नम्बर 1 /0.253, पत्थर नम्बर 57/36 मु.न. 59 के किला नम्बर 2, 6 ता 10, 11, 12 में 2.024 हैक्टेयर कुल 14.3970 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 जी.बी.एम. के खाता संख्या 31 नया 25 पुराना के पत्थर नम्बर 55/40 मु.न. 4 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22 में 1.012 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/32 मु.न. 5 के किला नम्बर 14 ता 19, 22 ता 25 में 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/16 मु.न. 7 के किला नम्बर 1–2/0.506 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/9 मु.न. 14 के किला नम्बर 16–25/0.4680 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/17 मु.न. 15 के किला नम्बर 15 ता 25 में 2.5820 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 56/25 मु.न. 16 के किला नम्बर 2 ता 9, 11 ता 25 में 5.6940 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 56/33 मु.न. 17 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 21 में 1.8340 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/26 मु.न. 19 के किला नम्बर 1 ता 10 में 1.7960 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 56/18 मु.न. 20 के किला नम्बर 3 ता 5 में 0.759 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/10 मु.न. 21 का किला नम्बर 5/0.253 कुल 17.4340 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 जी.बी.एम. के खाता संख्या 78 नया 1764 पुराना के पत्थर नम्बर 55/14 मु.न. 81 के किला नम्बर 23/2, 24/2 में 0.4300 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/15 मु.न. 94 के किला नम्बर 3/2, 4/1, 7/2, 8/1, 12 ता 14, 17 ता 24 में 3.4920 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/7 मु.न. 95 के किला नम्बर 16, 25 में 0.506

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्या:– 204/2012)

हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/40 मु.न. 98 के किला नम्बर 24/0.190 , 58/33 मु.न. 108 के किला नम्बर 3 ता 5, 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22/1, 23/1 में 2.2760 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/26 मु.न. 109 के किला नम्बर 5, 6, 7, 14 में 0.6320 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/34 मु.न. 110 के किला नम्बर 1, 2, 10 में 0.7460 हैक्टेयर कुल 8.2720 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 बी.एन.एम. के खाता संख्या 49 नया 43 पुराना के पत्थर नम्बर 37/2 मु.न. 23 के किला नम्बर 6, 14, 15, 16, 25 में 1.240 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/10 मु.न. 24 के किला नम्बर 1, 9 ता 12, 16, 19 ता 23 में 2.7830 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/11 मु.न. 31 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10, 12, 13, 18 ता 23 में 3.7950 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/4 मु.न. 49 के किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 17, 25 में 1.990 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/12 मु.न. 50 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 11, 20, 21 में 2.2520 कुल 12.0690 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त वर्णित जैरवाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रतिवादी संख्या 8 का स्वर्गवास हो चुका हैं इसलिए उनके जायज वारिसो का पक्षकार वाद बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 8 के जैरवाद भूमि में 1/2 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा रकबा मे उनके जायज वारिस ब.हि.ब. के विरासतन उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी न. 8 के वारिसों में से प्रतिवादी न. 8/2 पर दर्ज पुत्री मनीदेवी का स्वर्गवास होने के कारण उसके जायज वारिसो को बतौर पक्षकार प्रतिवादी न. 8/2/1 ता 8/2/6 बनाया गया है। जैरवाद भूमि से सम्बन्धित प्रतिवादी न. 1 ने अपने नाम से दर्ज हिस्सा की भूमि में से 20.240 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी न. 2 ता 7 के पक्ष में दानपत्र दिनांक 05.09.2012 को करवा दी। अब प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 इस दान पत्र की आड़ में वादीगण के वर्षो पुराने कब्जा काश्त व सुधारे हुए रकबा में दखलन्दाजी करना चाहते हैं तथा वादीगण को अपने हिस्सा की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण वादीगण को धमकी दे रहे हैं कि जैरवाद संयुक्त खाते की हैं और हमने इसमें से 20.240 हैक्टेयर भूमि का दान पत्र करवा लिया हैं तथा अब वादीगण के कब्जा काश्त वाले रकबा में से 20.240 हैक्टेयर पर खड़ी फसल का कब्जा लेगें। वादीगण द्वारा समझाने पर कि आपने प्रतिवादी न. 1 के हिस्सा के रकबा का दान पत्र करवाया हैं और उसके कब्जा काश्त में ही अपना कब्जा ले सकते हो इस पर वो नहीं माने और कहने लगे कि इस दान पत्र का जमाबन्दी में अंकन हो जाने पर हम भी सहखातेदार हो जायेगें इसलिए खाते में दर्ज किसी भी भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकते है अन्यथा दान पत्र में प्राप्त की गई भूमि को और आगे झगड़ालू गुट या बदमाश पृवति के लोगो को बेचान कर देगें जो अपने आप वादीगण से कब्जा छुड़ा लेगें। प्रतिवादीगण वादीगण के रकबा में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं , वादीगण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत की शरण में आये है। जैरवाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज हैं और सभी सहखातेदारों का जैरवाद भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जावेगा। कोई भी सहखातेदार बिना अन्य सहखातेदारी की सहमति से अथवा बिना खाता विभाजन करवाये रकबा का ट्रान्सफर नहीं कर सकता और अगर हिस्सा मुताबिक भूमि का बैयनामा या दान पत्र आदि द्वारा ट्रान्सफर करता हैं तो खाता विभाजन से पूर्व कब्जा खरीददार अथवा दानग्रहिता नहीं प्राप्त कर सकता। जैरवाद भूमि का तथाकथित दान पत्र मात्र गलत व गैरकानूनी करवाया गया। प्रतिवादीगण स्वंय द्वारा जैरवाद वाद भूमि का हकशुफा का दावा किया हुआ हैं जो वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार हैं तथा अब प्रतिवादीगण स्वंय ने ने राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण जैरकार होने के बावजूद दान पत्र तस्दीक करवा लिया है तथा संयुक्त खाते में दर्ज भूमि का दान पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 204/2012)

करवाया हुआ होने से दान पत्र दिनांक 05.09.2012 शुरू से ही शुन्य हैं तथा जैरवाद रकबा पर निष्प्रभावी है। जैरवाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज हैं जिसका वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वर्षों पूर्व घरू बंटवारा किया हुआ हैं और इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। वादीगण जैरवाद भूमि का खाता प्रतिवादीगण से मुताबिक कब्जा काश्त के अलग कायम करवाना चाहते हैं तथा अपने कब्जा काश्त के रकबा में दखलन्दाजी नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाना चाहते हैं। प्रतिवादीगण तथाकथित दान पत्र दिनांक 05.09.2012 का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाकर बाद में अपने आप को सहखातेदार बता कर वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने की फिराक में हैं तथा धमकी दे रहे हैं कि दान पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर जैरवाद भूमि को आगे किसी झगड़ालू गुट को बेचान कर देगें जो अपने आप वादीगण से कब्जा छुड़ा लेगे। इसलिए वाद के निर्णय से पूर्व दान पत्र का अमलदरामद नहीं किया जावें। दिनांक 05.09.2012 को प्रतिवादीगण दान पत्र करवाने के बाद खेत में गये और वादीगण को कहने लगे कि अब जैरवाद भूमि में से 20.240 हैक्टेयर भूमि हमने जरिये दान पत्र हमारे नाम करवा ली है अब हम आपके संयुक्त खाता में से 20.240 हैक्टेयर भूमि तुम्हारे कब्जां काश्त वाले रकबा में से लेगें। चूंकि वादीगण का रकबा सुधारा हुआ रकबा हैं और संयुक्त खाते मे होने से इसमें से ही कब्जा खड़ी फसल का लेगें। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाया तो वे लोग नहीं माने। वादीगण द्वारा ग्राम हरिसिंहपुरा में ग्राम के मौजिज लोगो व रिश्तेदारों की एक पंचायत भी दिनांक 06.9.2012 को बुलाई जिसमें पंचायती के लोगो ने व रिश्तेदारों ने प्रतिवादीगण को समझाया कि आप वादीगण के कब्जा काश्त वाले रकबा में दखलन्दाजी नहीं करे पर वे नहीं माने और भरी पंचायत में धमकी देने लगे कि हम तो वादीगण वाले रकबा पर ही कब्जा करेगें। बस यह इन्कारी एवं धमकी ही वाद प्रस्तुत करने का मुख्य कारण है। अतः निवेदन हैं कि वाद पत्र बाद सुनवाई डिक्री फरमाया जाकर अनुतोष क ता ग अनुसार प्रदान किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील हाजिर आये तथा अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि जैरवाद भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड हैं जो स्वीकार हैं। जंहा तक 1/2 हिस्सा लाधुराम का होना विवादित हैं इसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार हैं। जहां से निर्णय होने के पश्चात् ही भूमि के मालिकाना हक व हिस्सा की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट होगी। द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में आज भी विचाराधीन हैं। मामला सब–ज्युडिश धारा 10 सीपीसी से प्रभावित हैं। जहां तक 2.240 हैक्टेयर भूमि बहक प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम जरिये दान पत्र दिनांक 05.09.2012 को दी गई है, उससे इस दावा या माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार अपील दोनो पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ने वाला नहीं हैं। क्योंकि अगर प्रतिवादी संख्या 1 लाधुराम का 1/3 हिस्सा विवादित भूमि में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार अपील से घोषित भी हो जाता हैं तो भी प्रतिवादी के हिस्से 2.240 हैक्टेयर से अधिक भूमि हिस्से में आयेगी। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्भावित 1/3 हिस्सा भी लगभग 18.870 हैक्टेयर के बराबर होगा। कब्जा संयुक्त खाता में प्रतिवादीगण का हैं। सांझा खाता में प्रत्येक सह–खातेदार का प्रति इंच भूमि पर सभी का कब्जा माना जाता स्वंय वादीगण मानते हैं। भूमि का किसी भी प्रकार से कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ हैं, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती। दान पत्र का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में होने से कोई विपरीत प्रभाव वादीगण पर पड़ने वाला नहीं हैं। इसलिए लिखित

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 204/2012)

जवाबदावा मे दर्ज एतराज अनुसार वाद पत्र निरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 8/1, 8/2/1 ता 8/2/6 एवं 8/3, 8/4 द्वारा इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमती प्रदान की।

वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर कुल 8 तनकीयात कायम की गई जिनका विवेचन किया जाकर निम्न अनुसार तनकीयात का निर्णय किया जाता हैः–

1. तनकी न. 1 :– आया वाद पत्र की मद संख्या 1 की उपमद i ता V में वर्णित रकबा के वादीगण रिकार्डेड खातेदार हैं ?

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि के वादीगण रिकार्डेड खातेदार दर्ज हैं जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई हैं। इसलिए यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती हैं।

2. तनकी न. 2 :– आया प्रतिवादी न. 1 द्वारा बिना खाता विभाजन करवाये संयुक्त खाते की विशेष भूमि का प्रतिवादी न. 2 ता 7 के पक्ष में दिनांक 05.09.2012 को करवाया गया तथाकथित दान पत्र प्रभावशून्य व शुरू से ही अवैध होने से वादीगण के हकों तक निष्प्रभावी हैं ?

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दान पर के अवलोकन अनुसार जैरवाद भूमि का प्रतिवादी न. 1 द्वारा विशेष भूमि का नहीं करवाकर हिस्सानुसार करवाया हुआ हैं। एक सहखातेदार के अपने हिस्सा की भूमि का दान पत्र हिस्सानुसार करवाने पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होने से यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती हैं।

3. तनकी न. 3 :– आया प्रतिवादीगण बिना खाता विभाजन हुए जैरवाद भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त में है, घुसने से प्रतिबन्धित रहने की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के हकदार हैं?

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 लाधुराम जो सहखातेदार था उसका स्वर्गवास दौराने दावा हो जाने से प्रतिवादीगण विरासतन लाधुराम के वारिसान होने से सहखातेदार हो चुके हैं। सहखातेदार का संयुक्त खाते की भूमि के प्रत्येक इंच पर संयुक्त कब्जा माना जाता हैं इसलिए खाता विभाजन से पूर्व इस तनकी अनुसार अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं हैं।

4. तनकी न. 4:– आया वादीगण जैरवाद भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त, ढ़ाणी, डिग्गी व रास्ता व पानी के खाले नाके को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन करवाने के हकदार हैं?

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि संयुक्त खाते में होने के कारण वादीगण खाता विभाजन करवाने के हकदार हैं जो राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये खाता विभाजन के नियमों अनुसार करवाने के हकदार हैं इसलिए यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती हैं।

5. तनकी न. 5:– आया जैरवाद भूमि का प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में चल रहा हैं, इसलिए भी तथाकथित दान पत्र प्रभावशून्य हैं?

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अथवा प्रतिवादीगण द्वारा दोनो द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार प्रकरण बाबत प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए दान पत्र को प्रभाव शून्य

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

घोषित नहीं किया जा सकता हैं। अगर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भविष्य में जैरवाद भूमि के संबंध में कोई निर्णय पारित किया जाता हैं तो उसके अनुसार दान पत्र का प्रभाव रहेगा।

6. तनकी न. 6:– आया दावा गैर कानूनी व रजिस्टर्ड दान पत्र पर आधारित होने से खाता विभाजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने से काबिल निरस्ती के हैं?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 पर था। प्रतिवादीगण द्वारा दावा गैरकानूनी होने बाबत कोई तथ्यात्मक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा रजिस्टर्ड दान पत्र पर वादीगण द्वारा आपत्ति की गई हैं ना कि रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं। वादीगण द्वारा मुख्य अनुतोष खाता विभाजन का चाहा हैं जो किसी प्रकार से गैरकानूनी साबित नहीं होने से यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण 2 ता 7 तय की जाती हैं।

7. तनकी न. 7 :– आया दावा सिविल किस्म का हैं?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 पर था। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 द्वारा इसको साबित करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। वाद पत्र में मुख्य अनुतोष खाता विभाजन का चाहा गया हैं जो कि राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकता हैं। इसलिए यह तनकी भी खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 तय की जाती हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

इस प्रकार उक्त वर्णित तनकीवार विवेचन करने पर वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एम.सी. के खाता संख्या 51 नया 34 पुराना के पत्थर नम्बर 37 / 28 मु.न. 18 के किला नम्बर 19–21 में 0.1900 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37 / 29 मु.न. 27 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 23–24 में 3.7450 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37 / 30 मु.न. 35 के किला नम्बर 3–4 में 0.506 हैक्टेयर कुल 4.4410 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 6 एम.सी. के खाता संख्या 43 नया 27 पुराना के पत्थर नम्बर 56 / 23 मु.न. 13 का किला नम्बर 24 / 0.025, पत्थर नम्बर 56 / 24 मु.न. 25 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 में 4.1370 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56 / 16 मु.न. 26 के किला नम्बर 14 ता 18, 21 ता 25 में 1.7330 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 57 / 9 मु.न. 29 के किला नम्बर 1 ता 13 में 3.2890 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 57 / 17 मु.न. 30 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 14, 18, 23 मे 2.9360 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 57 / 44 मु.न. 58 का किला नम्बर 1 / 0.253, पत्थर नम्बर 57 / 36 मु.न. 59 के किला नम्बर 2, 6 ता 10, 11, 12 में 2.024 हैक्टेयर कुल 14.3970 हैक्टेयर <u>कमाण्ड / अनकमाण्ड</u> खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 जी.बी.एम. के खाता संख्या 31 नया 25 पुराना के पत्थर नम्बर 55 / 40 मु.न. 4 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22 में 1.012 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55 / 32 मु.न. 5 के किला नम्बर 14 ता 19, 22 ता 25 में 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55 / 16 मु.न. 7 के किला नम्बर 1–2 / 0.506 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56 / 9 मु.न. 14 के किला नम्बर 16–25 / 0.4680 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56 / 17 मु.न. 15 के किला नम्बर 15 ता 25 में 2.5820 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 56 / 25 मु.न. 16 के किला नम्बर 2 ता 9, 11 ता 25 में 5.6940 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 56 / 33 मु.न. 17 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 21 में 1.8340 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः— 204/2012)

पत्थर नम्बर 56/26 मु.न. 19 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 10 में 1.7960 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/18 मु.न. 20 के किला नम्बर 3 ता 5 में 0.759 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/10 मु.न. 21 का किला नम्बर 5/0.253 कुल 17.4340 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 जी.बी.एम. के खाता संख्या 78 नया 1764 पुराना के पत्थर नम्बर 55/14 मु.न. 81 के किला नम्बर 23/2, 24/2 में 0.4300 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/15 मु.न. 94 के किला नम्बर 3/2, 4/1, 7/2, 8/1, 12 ता 14, 17 ता 24 में 3.4920 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/7 मु.न. 95 के किला नम्बर 16, 25 में 0.506 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/40 मु.न. 98 के किला नम्बर 24/0.190, 56/33 मु.न. 108 के किला नम्बर 3 ता 5, 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22/1, 23/1 में 2.2760 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/26 मु.न. 109 के किला नम्बर 5, 6, 7, 14 में 0.6320 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/34 मु.न. 110 के किला नम्बर 1, 2, 10 में 0.7460 हैक्टेयर कुल 8.2720 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 बी.एन.एम. के खाता संख्या 49 नया 43 पुराना के पत्थर नम्बर 37/2 मु.न. 23 के किला नम्बर 6, 14, 15, 16, 25 में 1.240 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/10 मु.न. 24 के किला नम्बर 1, 9 ता 12, 18, 19 ता 23 में 2.7830 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/11 मु.न. 31 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10, 12, 13, 18, 19, 21 ता 23 में 3.7950 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/4 मु.न. 49 के किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 17, 25 में 1.999 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/12 मु.न. 50 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 11, 20, 21 में 2.2520 कुल 12.0690 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार कुंआ व ढ़ाणी आदि को ध्यान मे रखते हुए तथा पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते व खाला की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 04.01.2024 को सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक डिक्री ::–

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. सहीराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. हरजीराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
   - 2/1. फूलांदेवी बेवा हरजीराम
   - 2/2. इमीचन्द पुत्र हरजीराम
   - 2/3. भंवरी देवी पुत्री हरजीराम
   - 2/4. मीरा देवी पुत्री हरजीराम (स्वर्गवास):–
     - 2/4/1. मंजूदेवी पुत्री मीरा पुत्री हरजीराम
     - 2/4/2. निर्मला देवी पुत्री मींरा पुत्री हरजीराम

   जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. रेवन्तराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान(मृतक):–
   - 3/1. लालचन्द पुत्र
   - 3/2. रामेश्वर पुत्र
   - 3/3. जगदीश पुत्र
   - 3/4. रामेश्वरी पुत्री
   - 3/5. सावित्री पुत्री
   - 3/6. भैराराम पुत्र
   - 3/7. सुखराम पुत्र

   पुत्रगण व पुत्रीयां रेवन्ताराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. बृजलाल(मृतक):–
   - 4/1. माया देवी पुत्री बृजलाल पत्नी नंदराम कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।
   - 4/2. रामी बाई पुत्री बृजलाल पत्नी प्रेमकुमार जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. नानूराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादीगण

बनाम

1. लाधुराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज(फौत):–
   - 1/1. मेघीदेवी पत्नी लाधुराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 1/2. मनीराम पुत्र लाधूराम(फौत):
     - 1/2/1. शान्तिदेवी बेवा मनीराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 1/3. अशोक कुमार पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 204/2012)

1/4. सन्तोष देवी पुत्री लाधूराम पत्नी दानाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
1/5. चावलीदेवी पुत्री लाधूराम पत्नी चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी चक 22 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
1/6. जीवणी पुत्री लाधूराम पत्नी लुणाराम जाति कुम्हांर निवासी लूणकरणसर, हरीराम बाबा मन्दिर के पास, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2. मोहनलाल
3. सांवलाराम
4. अशोक कुमार

} पिसरान लाधुराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

5. महेन्द्र कुमार
6. आशाराम
7. दयाराम

} पिसरान मनीराम पुत्र लाधुराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

8. चुनीलाल पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज. (मृतक) :–

8/1. हेतराम पुत्र चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.(मृतक):–

8/1/1. कौशल्या बेवा हेतराम
8/1/2. मदनलाल पुत्र हेतराम
8/1/3. लिछमादेवी पुत्री हेतराम
8/1/4. मायादेवी पुत्री हेतराम
8/1/5. औमप्रकाश पत्र हेतराम
8/1/6. सिलोचना पुत्री हेतराम

} जाति कुम्हार सा0 1 जी.बी.एम. हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8/2. मनीदेवी पुत्र चुनीलाल (मृतक) : –

8/2/1. कलावती पुत्री मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/2. रानी पुत्री मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/3. कुलदीप पुत्र मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/4. सन्तोष पुत्री मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/5, हंसराज पुत्र मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/2/6. पुष्पा पुत्री मनीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

8/3. गुडडी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिंसिहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
8/4. रामीदेवी पुत्री चुनीलाल जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

9. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
10. उप–पंजीयक सूरतगढ़/राजियासर

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 204/2012)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 204 वर्ष 2012 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल किताई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई, वकील प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2/1, 1/3 से 1/5, 2 ता 7 श्री प्रमेन्द्रसिंह भाटी एवं वकील प्रतिवादी सख्या 8/3, 8/4 व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एम.सी. के खाता संख्या 51 नया 34 पुराना के पत्थर नम्बर 37/28 मु.न. 18 के किला नम्बर 19–21 में 0.1900 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/29 मु.न. 27 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 23–24 में 3.7450 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/30 मु.न. 35 के किला नम्बर 3–4 में 0.506 हैक्टेयर कुल 4.4410 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 6 एम.सी. के खाता संख्या 43 नया 27 पुराना के पत्थर नम्बर 56/23 मु.न. 13 का किला नम्बर 24/0.025, पत्थर नम्बर 56/24 मु.न. 25 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 में 4.1370 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/16 मु.न. 26 के किला नम्बर 14 ता 18, 21 ता 25 में 1.7330 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 57/9 मु.न. 29 के किला नम्बर 1 ता 13 में 3.2890 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 57/17 मु.न. 30 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 14, 18, 23 मे 2.9360 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 57/44 मु.न. 58 का किला नम्बर 1/0.253, पत्थर नम्बर 57/36 मु.न. 59 के किला नम्बर 2, 6 ता 10, 11, 12 में 2.024 हैक्टेयर कुल 14.3970 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 जी.बी.एम. के खाता संख्या 31 नया 25 पुराना के पत्थर नम्बर 55/40 मु.न. 4 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22 में 1.012 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/32 मु.न. 5 के किला नम्बर 14 ता 19, 22 ता 25 में 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/16 मु.न. 7 के किला नम्बर 1–2/0.506 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/9 मु.न. 14 के किला नम्बर 16–25/0.4680 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/17 मु.न. 15 के किला नम्बर 15 ता 25 में 2.5820 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/25 मु.न. 16 के किला नम्बर 2 ता 9, 11 ता 25 में 5.6940 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/33 मु.न. 17 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 21 में 1.8340 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/26 मु.न. 19 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 10 में 1.7960 हैक्टेयर , पत्थर नम्बर 56/18 मु.न. 20 के किला नम्बर 3 ता 5 में 0.759 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/10 मु.न. 21 का किला नम्बर 5/0.253 कुल 17.4340 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 जी.बी.एम. के खाता संख्या 78 नया 1764 पुराना के पत्थर नम्बर 55/14 मु.न. 81 के किला नम्बर 23/2, 24/2 में 0.4300 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/15 मु.न. 94 के किला नम्बर 3/2, 4/1, 7/2, 8/1, 12 ता 14, 17 ता 24 में 3.4920 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/7 मु.न. 95 के किला नम्बर 16, 25 में 0.506 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 55/40 मु.न. 98 के किला नम्बर 24/0.190 , 56/33 मु.न. 108 के किला नम्बर 3 ता 5, 7, 8, 13, 14, 17 ता 19, 22/1, 23/1 में 2.2760 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/26 मु.न. 109 के किला नम्बर 5, 6, 7, 14 में 0.6320 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 56/34 मु.न. 110 के किला नम्बर 1, 2, 10 में 0.7460 हैक्टेयर कुल 8.2720 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 बी.एन.एम. के खाता संख्या 49 नया 43 पुराना के पत्थर नम्बर 37/2 मु.न. 23 के किला नम्बर 6, 14, 15, 16, 25 में 1.240 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/10 मु.न. 24 के किला नम्बर 1, 9 ता 12, 18, 19 ता 23 में 2.7830 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/11 मु.न. 31 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10, 12, 13, 18, 19, 21 ता 23 में 3.7950 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37/4 मु.न. 49 के किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 17, 25 में 1.999

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः— 204 / 2012)

हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 37 / 12 मु.न. 50 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 11, 20, 21 में 2.2520 कुल 12.0690 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह पटवारी हल्का को साथ लेकर तथा पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार कुंआ व ढ़ाणी आदि को ध्यान मे रखते हुए तथा पुराने कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ते व खाला की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बनाकर अलग अलग रंग भर कर 20 दिवस में इस अदालत को भिजवायें।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.01.2024 . . को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)